1/2

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
160/2013	23.09.2013	15-4-2026

लैण्ड होल्डर तहसीलदार, गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. अकरम खान पुत्र युनूस खान, निवासी वार्ड न0 23, गंगापुर सिटी
2. अनवार खान पुत्र यासीन खान, निवासी वार्ड न0 23, गंगापुर सिटी
3. इरफान खान पुत्र सुलेमान खान, मुसलमान निवासी हिण्डौन सिटी
4. नेमीचंद प्रजापत पुत्र रामफूल प्रजापत, कुम्हारर निवासी कसाई मौहल्ला तहसील गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा तहत धारा 177 आर.टी. एक्ट

उपस्थित :— राजकीय पैरोकार।

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम ब्रह्मवाद स्थित आराजी भूमि ख0न0 586 रकबा 0.29 है0 मुताबिक जमाबंदी संवत 2067—2070 मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी मे दर्ज है। मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट उक्त आराजीयात मे प्रतिवादीगण ने बिना किसी सक्षम स्वीकृति के प्लॉट काटकर नींव भराई का कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि मे परिवर्तित कर लिया है। ग्राम ब्रह्मवाद स्थित भूमि ख0न0 586 रकबा 0.29 है0 कृषि भूमि है, जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा बिना कोई भू संपरिवर्तन कराये प्लॉट काटकर नींव भराई करने के कारण यह कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत है। इस कारण यह भूमि सिवायचक घोषित किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ख0न0 586 रकबा 0.29 है0 ग्राम ब्रह्मवाद को कब्जा राज मे लिया जावे एवं प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किया जाकर भूमि को सिवायचक किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जवाब प्रस्तुत किया है कि पटवारी हल्का ने गलत एकपक्षीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जवाबदारान ने उक्त भूमि मे कोई प्लाट नही काटे है और ना ही भूमि की किस्म परिवर्तित की है। जबाबदारान मे अपना 3/4 हिस्सा दिनांक 30.10.2013 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नेमी प्रजापत पुत्र रामफूल प्रजापत निवासी कसाई मौहल्ला गंगापुर सिटी को विक्रय कर भूमि पर कब्जा करवा दिया है। जिसका राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:03:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

रिकॉर्ड मे इन्द्राज हो चुका है। वादी द्वारा इसे पक्षकार नही बनाया गया है इस कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज होने योग्य है।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी संवत 2066 से 2069, 2070–2073 खाता संख्या 3 ग्राम ब्रह्मवाद, नक्शा प्रस्तुत किये है तथा बयान स्वयं वादी तहसीलदार गंगापुर सिटी के कराये है।

बहस राजकीय पेरोकार सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस मे कहा है कि खातेदारी भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के प्लांटिग का कार्य किया गया है। इसलिए भूमि को सिवायचक किया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि ख0न0 586 रकबा 0.29 है0 ग्राम ब्रह्मवाद मे बिना सक्षम स्वीकृति के प्लाट काट नींव भराई का कार्य किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अवैधानिक है फलस्वरूप भूमि ख0न0 586 रकबा 0.29 है0 ग्राम ब्रह्मवाद को सिवायचक किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वादी स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 586 रकबा 0.29 है0 ग्राम ब्रह्मवाद को सिवायचक किये जाने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र जारी किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15-4-21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:03:27 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (स0मा0)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

लैण्ड होल्डर तहसीलदार, गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. अकरम खान पुत्र युनूस खान, निवासी वार्ड न0 23, गंगापुर सिटी
2. अनवार खान पुत्र यासीन खान, निवासी वार्ड न0 23, गंगापुर सिटी
3. इरफान खान पुत्र सुलेमान खान, मुसलमान निवासी हिण्डौन सिटी
4. नेमीचंद प्रजापत पुत्र रामफूल प्रजापत, कुम्हारर निवासी कसाई मौहल्ला तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा तहत धारा 177 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नं. —160/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी राजकीय पैरोकार मिनजानिब मुद्दई .... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वादी स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 586 रकबा 0.29 है0 ग्राम ब्रह्मवाद को सिवायचक किये जाने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र जारी किया जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15-4.2026 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:03:27 IST
Reason: SelfAttested